राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 396/2008/अलवर.
2. अपील संख्या – 397/2008/अलवर.

मैसर्स राठी बार्स लिमिटेड, खुशखेड़ा (अलवर). ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.–III, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1390/2008/अलवर.
4. अपील संख्या – 1391/2008/अलवर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.–III, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राठी बार्स लिमिटेड, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक ....व्यवहारी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/12/2017

निर्णय

1. ये चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 414/उपा–भरत/06–07/RST व 415/उपा–भरत/06–07/CST में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003–04 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29(7), 58 व 65 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी व अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. उक्त सभी अपीलें एक ही पक्षकार से सम्बन्धित होने तथा विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

18/12/17

लगातार..............2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2003 को अपीलार्थी व्यवहारी के खुशखेड़ा भिवाड़ी स्थित फैक्ट्री की जांच की गयी थी, उसी समय व्यवहारी के दिल्ली स्थित फैक्ट्री एवं कार्यालय की जांच दिल्ली राज्य के बिक्री कर अधिकारियों की उपस्थिति में की गयी थी, साथ ही नई दिल्ली निवासी कथित कर्मचारी श्री अशोक शर्मा तथा श्री हीरालाल माहेश्वरी के निवास स्थलों की भी जांच की गयी थी। दिल्ली में जांच के दौरान अभिग्रहित किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिल्ली के बिक्री कर अधिकारियों से प्राप्त की जाकर उनकी ऑडिट की गयी थी। अभिग्रहित किये गये रेकॉर्ड में व्यवसायी द्वारा कथित रूप से की गई आयरन स्टील की खरीद, डिस्पेच एवं फरनेस ऑयल की खरीद, तुलाई, ट्रांसपोर्टेशन तथा बिजली की खपत/खर्चे एवं अन्य विवरण ऑडिट के दौरान तैयार किये गये एवं उन ऑडिट रिपोर्ट से प्राप्त हुई अनियमितताओं एवं साक्ष्यों से विक्रयकर में करवंचना का कृत्य मानते हुए व्यवहारी को नोटिस जारी किये गये थे, जिसका जवाब व्यवहारी द्वारा दिया जाने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003—04 के लिये विस्तृत विवेचन करते हुए विक्रयकर अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम, 1956 के तहत पृथक—पृथक आदेश दिनांक 29.09.2006 को पारित किये गये।

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2007 को निर्णय पारित कर, कर निर्धारण आदेशों को अपास्त कर पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का मुख्य कारण निर्णय में यह लिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो प्रकरण दिनांक 22.09.2003 के सर्वेक्षण के आधार पर इस वर्ष में भी बनाया गया है, ऐसे ही प्रकरण उसी सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1999—2000, 2000—01, 2001—02 व 2002—03 में भी बनाये गये थे, जिसमें से वर्ष 2001—02 के कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध भी इसी तरह की अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जाने पर अपील संख्या 587/2006 निर्णय दिनांक 30.11.2005 में सर्वेक्षण के दौरान श्री अशोक शर्मा एवं श्री हीरालाल माहेश्वरी के दिल्ली स्थित निवास स्थलों से अभिग्रहित किये गये दस्तावेजों के आधार पर आरोपित किये गये कर, शास्ति एवं ब्याज को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। उस अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड में अपील की जाने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमानित की गई बिक्री के आधार पर अधिरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज अपास्त किये जाते हैं। कर बोर्ड के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में

18/12/17

लगातार..............3

अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश में आरोपित अतिरिक्त कर, ब्याज तथा शास्ति को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः विशिष्ठ नोटिस देकर पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 26.12.2007 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपील आधारों में यह कथन किया है कि यह प्रकरण दिनांक 22.09.2003 के सर्वेक्षण में प्राप्त अभिग्रहित लूज पेपर्स एवं दस्तावेजों से सम्बन्धित है एवं उस सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1999—2000, 2000—01, 2001—02 व 2002—03 के आदेश पूर्व में पारित किये गये थे, जिनके विरूद्ध अपील की जाने पर अन्तिम रूप से द्वितीय अपील में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वर्ष 2000—01 व 2002—03 के लिये आदेश दिनांक 26.07.2008 एवं वर्ष 2001—02 के लिये आदेश दिनांक 10.09.2007 पारित करते हुए उसी एक सर्वेक्षण के आधार पर किये गये कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों को निरस्त किया गया था एवं कर बोर्ड के उसी आदेश दिनांक 10.09.2007 का हवाला देते हुये अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश में यह निर्णय दिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गवाहों को Cross Examination का अवसर नहीं दिया गया था एवं यही आधार कर बोर्ड के आदेश दिनांक 10.09.2007 में लिया गया है अतः सुनवाई का उचित अवसर देते हुये आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जबकि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी व्यवहारी के प्रकरण में उसी सर्वेक्षण के आधार पर पारित आदेशों को अपास्त कर दिये जाने से अब उसी मामले में अन्य किसी तर्क के कर निर्धारण आदेश अपास्त योग्य है।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान कर बोर्ड के उक्त निर्णयों के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करने सम्बन्धी या आदेश स्थगित किये जाने सम्बन्धी कोई सूचना रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि कर बोर्ड के उक्त आदेश अन्तिमता प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश की पश्चातवर्ती आदेशों में पालना करने की बाध्यता सम्बन्धी माननीय न्यायालयों के निर्णयों का दृष्टान्त भी पेश किया।

8. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि अपीलीय आदेश दिनांक 26.12.2007 को पारित किये हुए 10 वर्ष गुजर चुके हैं जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर पुनः आदेश पारित करने के भी आदेश दिये गये थे, उस सम्बन्ध में ~~कर~~ निर्धारण अधिकारी द्वारा आज दिवस तक कोई

18/12/17

लगातार..............4

भी आदेश पारित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन अपीलों में गुणावगुण पर तर्क देने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुये कथन किया कि समस्त प्रकरण में अपीलीय प्रभाव भी समाप्त हो चुका है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 24(6) के अनुसार प्रतिप्रेषित आदेश की पालना दो वर्ष के भीतर की जानी चाहिये थी जो नहीं की जाने से आज दिवस की स्थिति में भी किसी तरह का कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जा सकता, अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि के साथ पुनः कर निर्धारण नहीं किये जाने की भी आदेश किया जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के **अपील संख्या 83/2010 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2006** की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि कर बोर्ड ने यी निर्णय दिया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में प्रकरण को दिनांक 18.09.2009 को प्रतिप्रेषित किया गया था, परन्तु उस प्रतिप्रेषित प्रकरण का पुनः कर निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 7 वर्ष से अधिक की अवधि तक भी नहीं किये जाने से सम्पूर्ण प्रकरण निष्प्रभावी हो गया है एवं अपील खारिज की गई थी अतः इस आधार पर ही इस प्रकरण में भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

9. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया आदेश विस्तृत विवेचन के साथ किया गया था अतः उस आदेश को पुनर्स्थापित किया जाये, परन्तु विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने से अनभिज्ञता बताई। अतः आदेश प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी एवं इसी सर्वेक्षण से सम्बन्धित बनाये गये प्रकरणों में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा किये गये आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा रिवीजन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने से भी अनभिज्ञता जाहिर की गई।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया।

11. इस प्रकरण में बहस के दौरान गुणावगुण पर तथ्यों के विश्लेषण के बिन्दु पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा उसी सर्वेक्षण के आधार पर निर्णय कर दिये जाने एवं उसे अविधिक घोषित कर दिये जाने के फलस्वरुप सीधे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलीय आदेश, जिसमें प्रकरण को पुनः नोटिस दिया जाकर कर निर्धारण आदेश पारित करने के जो आदेश दिये गये थे वह 10 वर्ष गुजरने के बाद भी पारित नहीं किये जाने की स्थिति में अब किसी भी तरह की कार्यवाही अपीलीय आदेश से किया जाना सम्भव नहीं रहा है।

18/12/12

लगातार..............5

प्रकरण में अपीलीय आदेश के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि इसी सर्वेक्षण के आधार पर पूर्व में वर्ष 1999—2000 से 2002—03 तक के जो आदेश किये गये थे उन्हें राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 26.07.2008 एवं दिनांक 10.09.2007 द्वारा अपास्त किया जा चुका है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर ही प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया था। अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने तथा अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने भी यह कथन किया कि उनके विरूद्ध ऐसा कोई आदेश आज तक पारित नहीं किया गया है एवं न ही उन्हें ऐसा कोई आदेश तामील करवाया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल में पारित निर्णय **रिवीजन संख्या 620/99 प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लिमिटेड जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 01.12.2016** में ऐसे समान मामले में निर्णय किया गया है कि कर बोर्ड द्वारा जो निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को प्रदान किये गये थे उनकी समयावधि में पालना नहीं किये जाने एवं विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों अवधि पार होने से अब ये निर्देश स्वतः ही अर्थहीन मानते हुए प्रकरण को खारिज किया गया था। इसी तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश **डी.जी.एस.एन.डी. नई दिल्ली बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—बी, जयपुर (1993) 90 एस.टी.सी. 341 निर्णय दिनांक 21.04.92** में भी यह निर्णय दिया जा चुका है कि रिमाण्ड सम्बन्धी आदेश अधिनियम में निर्धारित अवधि में एवं उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अभाव में निर्धारित अवधि में पारित नहीं किये जाने की स्थिति में पुनः आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में गुणावगुण पर किसी भी तरह का विवेचन किये बिना यह निर्णीत किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत दो वर्ष की अवधि में आदेश पारित कर दिया जाना चाहिये था, क्योंकि उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश को यथावत रखते हुये यह निर्णय किया जाता है कि विधिक प्रावधान में प्रदत समय सीमा में आदेश पारित नहीं किया गया है तो अब कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है

18/12/17

लगातार..............6

एवं ऐसी स्थिति में राजस्थान कर बोर्ड के स्तर पर प्रकरण में किसी भी तरह का आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है।

13. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें निष्प्रभावी मानते हुए खारिज की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

10/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य